UPRB010035172026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
उपस्थितः– गुणेन्द्र प्रकाश (एच०जे०एस०)
<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1467/2026</u>

राजू पुत्र भगवानदीन निवासी मदारपुर मजरे गदिया, कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी।

---- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

---- अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–90/2026
अन्तर्गत धारा–109(1) बी०एन०एस० व धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना हरचन्दपुर, जनपद रायबरेली।

<u>दिनांक–30.06.2026</u>

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **राजू** की ओर से मु०अ०सं०–90/2026, अन्तर्गत धारा–109(1) बी०एन०एस० व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना हरचन्दपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त राजू द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। झूठा मुकदमा बना कर पुलिस द्वारा प्रार्थी को अरोपित किया गया है। दिनांक–19–04–2026 को थाना हरचन्दपुर की पुलिस प्रार्थी को उसके निवास स्थान जनपद बाराबंकी से पकड़ कर लायी है और यह बताया कि तुम्हारे विरुद्ध गैंगेस्टर न्यायालय द्वारा वारंट है तथा हरचंदपुर थाना में सीमा के अन्दर, जनपद रायबरेली में लाकर पुलिस मुठभेड़ दिखा कर प्रार्थी को गनसॉट चोटें पहुंचा कर संदर्भित मामलें में चालान कर दिया गया है। न्यायालय के रिमाण्ड के समय तक पुलिस ने प्रार्थी का कोई बयान नहीं लिया था, तब न्यायालय द्वारा प्रार्थी का बयान दर्ज किया गया। दौरान गिरफ्तारी कोई फोटो व विडियोग्राफी नहीं की गयी, जिससे मामला संदिग्ध है। गिरफ्तारी के समय का जनता का कोई गवाह नहीं बनाया गया। प्रार्थी द्वारा पुलिस पर किसी प्रकार से गोली नहीं चलाई गयी और न ही कोई तमंचा बरामद किया। प्रार्थी के पास से

कोई मोटर साइकिल बरामद नहीं हुई। जो भी मोटर साईकिल बरामद होना दर्शायी गयी है वह बरामदगी झूठी है। घटना को रंगत देने के उद्देश्य से तमंचा कारतूस व मोटर साइकिल बरामद दिखायी गयी है। प्रार्थी को उसके घर से पुलिस पकड़ लायी और पकड़ने के बाद गोली मार दी, जैसा कि रिमाण्ड के समय मजिस्ट्रेट के सामने बयान अंकित किया है। थाना हरचन्दपुर पुलिस के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गयी व्यवस्था का पालन समयबद्ध तरीके से नहीं किया गया। प्रार्थी दिनाक 20–04–2025 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी का सत्र न्यायालय मे पहला जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य किसी न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। जब भी न्यायालय द्वारा आहूत किया जायेगा तो प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित धाराओं पर मामले को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की जमानत स्वीकार करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 20.04.2026 को पुलिस द्वारा हिलगी पुलिया पर पहुंचकर चेकिंग के दौरान महाराजगंज रायबरेली रोड की तरफ से नहर के रास्ते अभियुक्त को आता हुआ देखकर रुकने को कहा गया तो अभियुक्त मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। पुलिस वालों ने पीछा किया तो मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त लड़खड़ाकर गिर गया। पुलिस वाले जब उसकी ओर दौड़े तो अभियुक्त ने एक फायर किया। पुलिस ने जब आत्मसमर्पण करने के लिये बोला तो अभियुक्त ने पुनः पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिसमें पुलिस वाले बाल–बाल बचे तब थानाध्यक्ष द्वारा अपनी व अपनी टीम के जीवन के भय को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को पकड़ने व उसके द्वारा की जा रही फायरिंग से बचने का अन्य कोई उपाय न देखते हुए अभियुक्त के पैर के निचले भाग को निशाना करते हुए एक फायर किया गया जिसमें अभियुक्त नीचे गिर गया और आत्मसमर्पण के भाव में आ गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ से थोड़ी दूर पर एक अदद तमंचा 12 बोर पड़ा मिला तथा सामने की तरफ 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर भी गिरा पड़ा मिला। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस मुठभेड़ के आधार पर उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है बल्कि अभियुक्त राजू के

पैर में ही गोली लगी है इस प्रकार यह नो इंजरी का मामला है।

अतः उक्त विश्लेषण एवं तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तदानुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **राजू पुत्र भगवानदीन** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–90/2026, धारा–109(1) बी०एन०एस० व धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना हरचन्दपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र** स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त **राजू** को इस मामले में मु० 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाता है।

(गुणेन्द्र प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
(JO CODE–UP6443)

Digitally signed by Gunendra Prakash
Date: 2026.07.01 11:26:47 IST
Reason: Bail
Location: District and Sessions Court, Raebareli